

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :128/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2010-11 दिनांक 08/02/2014

1

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर Revised समूह आवास मानचित्र (कय योग्य तलानुपात सहित) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री इन्द्रेक्ष कुमार अग्रवाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं स्व0 राजेश अग्रवाल पुत्रगण स्व0 श्रीनिवास अग्रवाल द्वारा नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या-15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल समूह आवास मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 25-01-2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया जायेगा।
4. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. स्थल पर सोलर वाटर हीटींग संयंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. लैंड स्केप प्लान के अनुसार स्थल पर पर्याप्त वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व निर्माण/विकासकर्ता/रेजीडेन्ट सोसायटी का होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
8. प्रासंगिक मानचित्र पूर्व स्वीकृत 34 आवासीय इकाई + 04 शमनीय इकाई (ब्लाक-A) निर्मित एवं नवीन प्रस्तावित 36 आवासीय इकाई (ब्लाक-B) एवं ब्लाक-C में तरण-ताल, सामुदायिक भवन, हेल्थ क्लब Etc. के निर्माण की अनुमन्यता हेतु है, अतिरिक्त इकाई का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-एफपी/सीएफओ/आई-2 (89)/2012 दिनांक 19.09.2012 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
10. पुलिस अधीक्षक-यातायात इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-आर/एसपीटी/सी-15 (एडीए)/2013 दिनांक 22.04.2013 में अंकित प्रतिबन्ध बाध्यकारी होंगे।
11. महा प्रबन्धक जल संस्थान (नगर निगम) इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-डी/556/ज0क0वि0/जांचदल/013 दिनांक 21.01.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन आवश्यक होगा।

18

Continued

12. मुख्य अभियन्ता-विद्युत की अनापत्ति पत्र संख्या-1067/मु0अ0(वि0)/इ0क्षे0/पी-2/दिनांक 16 अगस्त, 2013 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
13. मानचित्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा यदि भविष्य में कोई प्रतिबन्ध/वित्तीय देयता निर्धारित की जाती है तो वह आवेदक पर बाध्यकारी होंगे।
14. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
15. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 की समस्त प्रभावी नियम एवं शर्तें मान्य होगी।
16. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
17. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
18. उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने की दशा में दी गयी स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी।
19. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
20. बहुमंजिले भवन से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
21. बहुमंजिले भवन के निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
22. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को बहुमंजिले भवन की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना फ्लैट आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आर्किटेक्ट का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में बहुमंजिला भवन निर्मित हुआ है।
23. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(गुडाकेश शर्मा)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद